संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/2020/1472 भोपाल, दिनांक 29/08/2020

–:: आदेश ::–

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे, सेवानिवृत्त नेत्र विशेषज्ञ द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2020 के साथ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक–8307/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2020 की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ऑपरेटिंग पैरा इस प्रकार है :–

   In view of the aforesaid submissions and as agreed to by the learned counsel appearing for the parties, the present writ petition is disposed of with the direction to the Competent Authority of the respondents to consider and decide the case of the petitioner for grant of senior selection grade by considering his representation **(Annexure-P/4).** The said authority shall also consider the retiral benefits of the petitioner in accordance with law within a period of two months from the date of communication of the order passed today. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case. The writ petition stands disposed of accordingly. ac 1 WP-8307-2020

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन **एनेग्ज़र पी–4** दिनांक 22.05.2020 निराकरण किया जाना है। डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे नवम्बर 2019 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया है।

3. यह कहना सही है कि डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे की 30 वर्ष की सेवा अवधि (नियमितिकरण दिनांक 10.06.1987) पूर्ण हो चुकी है। उनके द्वारा वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 की वर्षान्त गोपनीय चरित्रावली वर्क रिपोर्ट सहित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 26.06.2019 द्वारा प्रेषित की गई थी जो कि संचालनालय में प्राप्त हो चुकी है।

4. 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पात्रता अनुसार स्वीकृत करने हेतु दिनांक 17.12.2018 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे का नाम विचारण में लिया गया। डॉ. खरे के वर्षान्त 2013 से 2015 तक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण समिति द्वारा डॉ. खरे को परिभ्रमण में रखा गया। दिनांक 22.06.2019 को पुनः परिभ्रमण बैठक में डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे के नाम पर विचार किया गया किंतु इनके वर्षान्त 2013 से 2015 तक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण समिति द्वारा डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे को पुनः परिभ्रमण में रखा गया।

28/8/2020

5. दिनांक 02.07.2020 को परिभ्रमण बैठक आयोजित की गई जिसमें डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे की वांछित अवधि के वर्षान्त 2013 से 2015 तक के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध पाये गये। छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड (विगत 05 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन पर 13 अंक) पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु अयोग्य पाया।

6. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 के द्वारा लोक सेवाओं तथा पदों पर पदोन्नति के संबंध में नियम जारी किये गये हैं। पैरा–06 एवं 07 अनुसार विभागीय पदोन्नति के समान ही वेतनमान प्रदान करने हेतु गठित छानबीन समिति कर्मचारी/अधिकारी के विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जावेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही वेतनमान का लाभ दिया जावेगा। अतः नियमानुसार डॉ. राकेश कुमार खरे को समिति द्वारा अयोग्य पाये जाने से डॉ. राकेश कुमार खरे वेतनमान हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे, सेवानिवृत्त, नेत्र विशेषज्ञ, को 30 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु योग्य नहीं पाये जाने के कारण एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश के परिपालन में डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे का अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2020 पूर्ण परीक्षण उपरांत अमान्य किया जाता है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

28/8/2020

(सपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/2020/ 1473 **भोपाल, दिनांक 28/08/2020**

प्रतिलिपि :<u>सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> –

1. सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल, म.प्र.।
2. रजिस्ट्रार/उप महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.।
3. अपर संचालक (लीगल), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर म.प्र.।
5. अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर।
6. डॉ. राजेन्द्र कुमार खरे, सेवानिवृत्त, नेत्र विशेषज्ञ, वाटिका डुप्लेक्स नम्बर–1, भंवरताल, नेपीयर टाउन, जबलपुर, म.प्र.।
7. प्रभारी एम आई एस डिवीजन स्थानीय कार्यालय भोपाल । विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

28/8/2020

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश